न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—75/2021 (2021/351) वादपत्र

अनवान

1. हीरालाल पिता धनराज ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकरलाल पिता सोहन लाल लुहार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मेघा पिता जगन्नाथ लुहार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. गीता पुत्री नंदा लुहार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बदाम पुत्री नंदा लुहार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगी पुत्री नंदा लुहार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बंशीलाल पिता नंदा लुहार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सुखलाल पिता प्यारचन्द कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सोहनलाल पिता प्यारचन्द कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन —

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 28.12.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी अधिकार कृषि आराजियात खाता संख्या 1157 में अकिंत आराजी संख्या 3874 रकबा 0.23 है0 भूमि स्थित है। इसी तरह ग्राम बोराणा के खाता संख्या 887 में वादी संख्या 2 व 3 व प्रतिवादी संख्या 6 की शामलाती कृषि आराजियात संख्या 3878 रकबा 0.13 है0 स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात खाता संख्या 1157 व 887 के साबिक नम्बर 1747 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा एक ही नम्बर था तथा सेटलमेन्ट के बाद इसके अलग अलग नम्बर कायम कर दिये। साबिक जमाबन्दी व मिलान क्षैत्रफल की नकल साथ संलग्न है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जो आराजी संख्या 3874 व 3874 है। उक्त आराजियात का अभी तक विभाजन नही हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती रूप से दर्ज होने से तथा हिस्सा अलग [illegible] वादीगण के अपने हक व हिस्से को विकास आदि कर कृषि उपयोग उपभोग हेतु [illegible] करने में तथा लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता [illegible] वादी[illegible] वादपत्र की कलम नम्बर 1 मै अकिंत आराजियात मैं मौके पर कब्जे व [illegible] विभाजन क[illegible]जाकर वादी संख्या 1 का मौके पर खाता संख्या 1157 के 1/[illegible] हिस्सा अनुसार यानि [illegible] है0, तथा वादी संख्या 2 का दोनो खाते में दर्ज कुल रकबा 0.36 है0 का 1/3 हिस्सा यानि 0.12 है0 तथा वादी संख्या 3 का खाता संख्या 887 में अकिंत 1/3 हिस्सा यानि 0.043 है0 का दोनो आराजी में से मौके पर कब्जा अनुसार विभाजन की घोषणात्मक डिकी जारी फरमाई जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:33 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 01.11.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सूचना दी गई जिस पर प्रतिवादीगण उपस्थित होकर अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन कराने में सहमति व्यक्त करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कराने का निवेदन किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 फोरमल पक्षकार है जिससे वादीगण द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया।

प्रकरण मे वादीगण व प्रतिवादीगणो द्वारा आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के निवेदन करने से तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 01.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार पक्षकार की सहमति से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 887 में प्रस्तावित आराजी संख्या 3878 रकबा 0.13 है0. भूमि शंकरलाल पिता सोहनलाल लोहार सा. देह खातेदार एवं खाता संख्या 1157 में प्रस्तावित आराजी संख्या 3874/1 रकबा 0.0660 है0, भूमि बंशीलाल पिता नन्दा 1/4, गीता बदामी मांगी पुत्रीयां नन्दा 3/4 लौहार सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 3874/2 रकबा 0.0330 है0, भूमि हीरालाल पिता धनराज शर्मा ब्राहम्ण सा. कोट खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 3874/3 रकबा 0.0330 है0, भूमि सोहनलाल पिता प्यारचन्द कुमावत सा. बोराणाकाखेड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 3874/4 रकबा 0.0550 है0, भूमि सुखलाल पिता प्यारचन्द कुमावत सा. बोराणाकाखेड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 3874/5 रकबा 0.0430 है0, भूमि मेघा पिता जगन्नाथ लौहार सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:33 IST
Reason: SelfAttested

28.12.2021

(सुन्दरलाल बम्बोरिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–75/2021 (2021/351) वादपत्र

अनवान

1. हीरालाल पिता धनराज ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकरलाल पिता सोहन लाल लुहार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मेघा पिता जगन्नाथ लुहार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. गीता पुत्री नंदा लुहार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बदाम पुत्री नंदा लुहार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगी पुत्री नंदा लुहार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बंशीलाल पिता नंदा लुहार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सुखलाल पिता प्यारचन्द कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सोहनलाल पिता प्यारचन्द कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 887 में प्रस्तावित आराजी संख्या 3878 रकबा 0.13 है0, भूमि शंकरलाल पिता सोहनलाल लोहार सा. देह खातेदार एवं खाता संख्या 1157 में प्रस्तावित आराजी संख्या 3874/1 रकबा 0.0660 है0, भूमि बंशीलाल पिता नन्दा 1/4, गीता बदामी मांगी पुत्रीयां नन्दा 3/4 लौहार सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 3874/2 रकबा 0.0330 है0, भूमि हीरालाल पिता धनराज शर्मा ब्राहम्ण सा. कोट खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 3874/3 रकबा 0.0330 है0, भूमि सोहनलाल पिता प्यारचन्द कुमावत सा.बोराणाकाखेड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 3874/4 रकबा 0.0550 है0, भूमि सुखलाल पिता प्यारचन्द कुमावत सा. बोराणाकाखेड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 3874/5 रकबा 0.0430 है0, भूमि मेघा पिता जगन्नाथ लौहार सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिकी आज दिनांक 28.12.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:33 IST
Reason: SelfAttested

28.12.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा